निग /3041/III/15

प्रार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 26-8-15

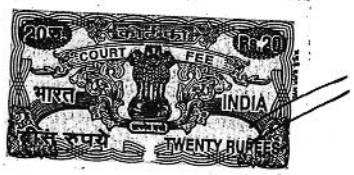

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रंमाक /14–15

मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल जी मंसूरी, जाति पिंजारा
उम्र लगभग 64 वर्ष, व्यवसाय कृषि एवं पेंशनर
निवासी–शामगढ तहसील शामगढ जिला मन्दसौर (म.प्र.)

---प्रार्थी

विरूद्व

देऊबाई पति केशुराव जाति मराठा (मृत) द्वारा वारिसान

1– ताराबाई पिता श्री केशुराव पत्नि श्री रमेशराव
जाति मराठा उम्र लगभग 56 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य आदि
निवासी–अरतर मन्दिर गली, शामगढ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

2– कैलाशराव पिता श्री केशुराव जाति मराठा
उम्र लगभग 53 वर्ष, व्यवसाय नौकरी (खलासी)
निवासी–रेल्वे कॉलोनी के पास, शामगढ जिला मन्दसौर

3– उषाबाई पिता श्री केशुराव पत्नि श्री भगवतराव जाति मराठा,
उम्र लगभग 54 वर्ष निवासी–मगरमुंहा गली उज्जैन,

4– जगदीश उर्फ पप्पू पिता केशुराव जाति मराठा
उम्र लगभग 43 वर्ष,व्यवसाय मजदूरी
निवासी–अस्तर मन्दिर गली, शामगढ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

---विपक्षीगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (श्री भण्डारी) गरोठ जो उनके न्यायालय की अपील क्रंमाक 16/14–15 में दिनांक 13.04.2015 को पारित किया गया।

माननीय महोदय,

इस पुनरीक्षण आवेदन पत्र में जहां जहां अपीलाण्ट शब्द टंकित किया गया है उसे प्रार्थी पढा जावे व जहां जहां रेस्पाडेन्ट शब्द टंकित किया गया है उसे विपक्षीगण शब्द पढने की कृपा की जावे।

1– यह कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. महोदय गरोठ के समक्ष अपील क्रंमाक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3041–तीन/2015 जिला मन्दसौर

मोहम्मद हुसैन विरूद्ध देऊबाई द्वारा वारिसार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अधीनस्थ न्यायालय की आदेश की सत्यापति प्रति के अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–4–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण में धारा 52 स्थगन संबंधी आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरिम आदेश 13–4–15 के विरूद्ध दिनांक 26–8–15 को निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में प्रस्तुत किये जिसके आधार पर निगरानी को समय–सीमा में मान्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया, गुण–दोष पर निराकरण होना बाकी है जहां आवेदक अपना पक्ष रख सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

18 December 2015